# इस्लामी बैंक की व्यवस्था

1989 ई0 में दिल्ली में आयोजित दूसरे फ़िक्ही सेमिनार में इस्लामी बैंकिंग के विषय पर ग़ौर किया गया और निम्न प्रस्ताव पास हुआ।

मौजूदा ज़माने की वित्तीय और आार्थिक व्यवस्था में बैंक को एक बुनियादी हैसियत हासिल है। अतिरिक्त पूजी को जमा करके विभिन्न आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उसके द्वारा पूजी भी उपलब्ध होती है और क़ौमी पैदावार में बढोतरी भी होती है। तदाधिक बैंकों के द्वारा ऐसी सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं जो व्यापार, उद्योग और कृषि जैसी आार्थिक गतिविधियों में अति आवश्यक हैं। भारत में रहनेवाले मुसलमानों की आर्थिक ज़रूरतों और पूंजी के लाभकारी इस्तेमाल के लिए भी यह ज़रूरी है कि वे बैंकिंग सिस्टम से फ़ायदा उठाएं। लेकिन बैंकिंग का पूरा निज़ाम सूद पर आधारित है जिसे अल्लाह तआला ने हराम क़रार दिया है।

सूदी निज़ाम हक़ीक़त यह है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर आधारित है। सूद के आधार पर होने वाली व्यापारिक गतिविधियां और पूंजी का लेन देन पूंजीपति को यह हक़ देता है कि वह हर हाल में अपनी पूंजी पर निश्चित लाभ हासिल करे, जब कि पूंजी को इस्तेमाल करके कारोबार करनेवाले व्यक्ति या पक्ष (म्दजतमदमनत) का लाभ सुनिश्चित नहीं होता बल्कि कारोबार की कामयाबी या नाकामी पर निर्भर होता है। यह पूंजीनिवेशक और पूंजीनियोजक के बीच असमानता पर आधारित मामला होता है जिसमें केवल पूंजीपति का हित सुरक्षित होता है पूंजीनियोजक का हित अनिश्चित। इस लिए इस्लामी शरीअत की नज़र में यह जुल्म है और पूंजी का ग़लत इस्तेमल है। सूदी व्यवस्था में दौलत सिमट कर कुछ हाथों में जमा होती है और उसका केन्द्रीकरण होता है आज के ज़माने में सूद दौलत को एक विशेष दायरे में समेटने का ज़रिया बना हुआ है। इसलिए आज कल क़र्ज़ पर दी जाने वाली पूंजी ने जो समस्याएं पैदा कर दी हैं वे सबके सामने खुल कर आ गयी हैं।

सूद की और भी बहुत सी ख़राबियां हैं जिनका यहां बयान सम्भव नहीं है। अल्लाह तआला की शरीअत इंसान की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जानेवाली कोशिश को अल्लाह का फ़ज्ल तलाश करने की कोशिश क़रार देती है, और इस तरह इंसानों को जाइज़ तरीक़े पर माल कमाने की ज़ोरदार प्रेरणा देती है। शरीअत इसके लिए ऐसे निर्देश, नियम और सिद्वांत देती है जिनपर एक न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित व्यवस्था विकसित होती है। इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा और मुक़ाबले के बजाए दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण सहयोग और व्यवहार पर आधारित है।

भारत में रहनेवाले मुसलमानों की यह ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी आर्थिक सरगरमियों को शरई नियमों के आधार पर विकसित करें ताकि इस तरह वह एक तरफ़ इस निज़ाम के वाहक बन सकें और दूसरी तरफ़ अपनी माली हालत को भी बेहरत बना सकें।

सूद मुक्त बैकिंग व्यवस्था के लिए शरीअत ने जो नियम और सिद्वांत दिए हैं वे मौजूदा ज़माने की

समस्याओं का बहतरीन हल पेश करते हैं। और प्रचलित तरीक़ों से ज़्यादा बेहतर और लाभदायक हैं। इस लिए सेमिनार में शरीक लोगों का मानना है कि मुज़ारिबत, मुशारिकत और मुराबिहा ¡¼नपजल च्तजपबपचंजपवदए च्तजदमतीपच - डंता नच च्तपबपदहद्ध जैसे तरीक़ों पर एक व्यवहारिक बैंकिंग व्यवस्था क़ायम की जा सकती है लेकिन कई सामाजिक, राजनीतिक और रेगुलेटरी समस्याओं की वजह से इसे व्यवहारिक बनाने के लिए अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है और शोध, प्रयोग व प्रयासों को आगे बढाने की आवश्यकता है। इस सिलसिले में निम्नलिखित सिद्वांतों को सामने रखना ज़रूरी है।

1- इस्लाम सूदी निज़ाम पर आधारित समझौतों और मामलों के हर रूप को हराम क़रार देता है।

2- इस्लाम वित्तीय और आर्थिक समझौतों में दोनों पक्षों के लिए न्याय को ज़रूरी शर्त क़रार देता है। इसका मतलब यह है कि पूंजीनिवेशक और पूंजीनियोजक (कार्यकारी) दोनों के साथ न्याय हो। पूंजीनिवेशक लाभ में भागीदार हो और पूंजी के नुक़सान का पूरी तरह ज़िम्मेदार हो, जबकि पूंजी के आधार पर श्रम करने वाला कार्यकारी साझेदार लाभ में भागीदार हो, और नुक़सान की स्थिति में वह अपनी मेहनत के फल से वंचित रहें।

3- पूंजी को साधन माना जाए न कि वास्तविक अपेक्षित चीज़, जिस तरह आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले और सुख समृद्वि देनेवाले दूसरे सामान होते हैं।

4- पूंजी को अल्लाह की अमानत समझा जाए और उसे लोगों की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करने तथा उनकी वित्तीय व आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का ज़रिया बनाया जाए, न कि ग़ैर इस्लामी परम्परा के अनुसार पूंजी को पूंजीपति और बैंक जैसी संस्थाएं केवल अपनी दौलत को बढाने का ज़रिया बनाएं।

5- पूंजी का वितरण इस तरह किया जाए कि कमज़ोर और पिछडे वर्गों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो और दौलत के अन्यायपूर्ण बंटवारे व अन्तर में कमी लाई जा सके। इस सिद्वांत के अनुसार इस्लामी बैंकों को पूंजी के वितरण और नियोजन की आवश्यकता को दूसरे अन्य मक़सदों के मुक़ाबले प्राथमिक्ता देनी होगी। और लाभ के अनुपात को सुनिश्चित करने में इस बात का ख़्याल रखना होगा कि कमज़ोर और कम आर्थिक संसाधनों वाले लोगों को प्रोत्साहन गिले।

6- उन सभी प्रचलित तरीक़ों से बचना होगा जो वास्तव में धोखे, सच्चाई को छिपाने और माल उडाने के रूप हैं।

7- इस्लामी बैकिंग को केवल ढांचागत व्यवस्था बनने से बचना होगा और उसे वास्तविक रूप में लोगों के लिए एक लाभदायी, सहयोगी और हितैषी (खैरख्वाह) संस्था के रूप में विकसित करना होगा, और उसमें इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था के मूल उद्देश्यों को आधार बनाना होगा।

इन बिन्दुओं को सामने रखते हुए इस सेमिनार में यह फ़ैसला किया गया कि बैंकिंग के जानकारों और आलिमों पर आधारित एक समिति गठित की जाए जो शरीअत के इन उसूलों को ध्यान में रखते हुए भारत के हालात और मुसलमानों की समस्याओं के अनुरूप एक व्यवहारिक निज़ाम का खाका तैयार करे।

☆☆☆